



पैकड दुग्ध/दुग्ध उत्पाद/घी/आइसक्रीम परिवहन कार्य हेतु तृतीय ई-निविदा

भोपाल दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र अंतर्गत मुख्य संयंत्र भोपाल एवं मिनी डेयरी प्लांट बैतूल से संबद्ध कुल 08 मार्गों में साँची दूध के परिवहन कार्य हेतु तृतीय ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। (इच्छुक एवं सक्षम) निविदाकर्ता इस कार्य के नियम, शर्तों एवं मार्गों की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com या www.mptenders.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। ई-निविदा शैड्यूल इस प्रकार है :-

स.क्र.	विवरण	कार्यवाही विवरण
1.	ई-निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 06.07.2026 को मध्याह्न 12:00 बजे से www.mptenders.gov.in से (रु.1000/- के क्रय मूल्य पर)
2.	ई-निविदा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 13.07.2026 समय दोपहर 02:00 बजे तक www.mptenders.gov.in पर
3.	ई-निविदा की आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 14.07.2026 को समय दोपहर 03:00 बजे (ऑनलाइन)
4.	ईएमडी राशि	ईएमडी राशि रु.1,00,000/- (राशि रु. एक लाख मात्र) ऑनलाइन जमा करें एवं रसीद संलग्न करें।

उपरोक्त दर्शित विवरण अनुसार सर्वप्रथम इच्छुक एवं सक्षम निविदाकर्ता वेबसाइट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर प्राप्त करें। तदोपरांत निविदा प्रपत्र में दर्शित समस्त आवश्यक अर्हताओं, नियमों एवं शर्तों को पढ़कर समझ लें। इनसे सहमत होने पर उक्त वेबसाइट से निविदा प्रपत्र रुपए 1000/- पर ऑनलाइन क्रय कर, वांछित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन ही जमा करें तथा निविदा प्रपत्र की राशि एवं ईएमडी की राशि की जमा रसीद भी प्रपत्र के साथ अपलोड करें। समस्त निविदाकर्ताओं की प्रथमतः तकनीकी अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा एवं इसके पश्चात ही परिवहनकर्ता के चयन की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

किसी भी निविदा को सकारण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास निहित होगा।

परिवहन कार्य की अनुबंध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर परिवहन का कार्य संतोषप्रद होने की दशा में अनुबंध अवधि एक-एक वर्ष कर दो वर्षों हेतु अनुबंध की समान शर्तों एवं दरों पर बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास निहित होगा।

यदि निविदा में कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल एमपीसीडीएफ, भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर एवं www.mptenders.gov.in पर प्रकाशित होगा। किसी अन्य माध्यम से प्रकाशित/सूचित नहीं किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

Rs 1000/-

NO. 4323

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

ग्रामीण विपणन में
दूध / दुग्ध उत्पाद / घी
/ आइसक्रीम परिवहन कार्य
हेतु तृतीय ई – निविदा
प्रपत्र वर्ष 2026–2029



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
डेयरी प्लांट हबीबगंज भोपाल
परिवहन कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

- | | |
|---|--|
| 1 ई-निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की प्रारंभ तिथि एवं समय | दिनांक 06.07.2026 को दोपहर 12:00 बजे से www.mptenders.gov.in से रु 1000/- पर क्रय कर सकते हैं। |
| 2 ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय | दिनांक 13.07.2026 को दोपहर 02:00 बजे तक |
| 3 ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समय | दिनांक 14.07.2026 अपराह्न 03:00 बजे |
| 4 ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य | रु. 1000/- (रुपये एक हजार मात्र) (ऑन लाईन रसीद संलग्न करें।) |
| 5 ई-निविदा खोलने का स्थान | भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, डेयरी प्लांट हबीबगंज, भोपाल |
| 6 परिवहन कार्य हेतु "तकनीकी अर्हताएँ" का प्रारूप एवं सामान्य शर्तें | प्रपत्र क्र. 01 एवं प्रपत्र क्र. 02 |
| 7 "भाव पत्र/दरे" प्रस्तुत करने का प्रारूप | प्रपत्र क्र. 03 |

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखने योग्य तथ्य :

- निविदाकार को यह ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि यह केवल ऑनलाईन निविदा है। अतः निविदाकार, निविदा प्रपत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के उपरांत ही निविदा प्रपत्र भरें एवं निविदा में मांगे गये समस्त वांछित दस्तावेजों यथा:-ई.एम.डी. राशि की रसीद आदि भी केवल आनलाइन ही स्कैन कर अपलोड करें। भौतिक रूप से प्राप्त निविदा प्रपत्र अमान्य किये जावेंगे तथा ऐसी निविदाएं अमान्य होगी।
- निविदा स्वीकृत होने की दशा में सफल निविदाकार को निविदा में अपलोड किये गये समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति भोपाल दुग्ध संघ कार्यालय में एक माह के अंदर प्रस्तुत कर छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी जिसकी जवाबदेही निविदाकार की होगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

प्रपत्र क्र.1

आवश्यक अर्हताएँ

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
भोपाल।

महोदय,

भोपाल दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र अंतर्गत भोपाल/बैतूल से सम्बद्ध
..... मार्ग में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद, घी, आईसक्रीम परिवहन
कार्य हेतु दिनांक..... को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित तृतीय ई-निविदा
सूचना के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं
निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरी निविदा नियमानुसार स्वीकृत की जाती है तो
मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

स.क्र.	आवश्यक अर्हताएँ	विवरण	अनिवार्य दस्तावेज
1	निविदाकर्ता का नाम (फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/ एकल स्वामित्व Joint Venture फर्म)		निविदाकर्ता का नाम (फर्म / कम्पनी /पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व (Joint Venture फर्म) अंकित करे।
2	एकल स्वामित्व / भागीदारी / कंपनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत व्यक्ति/अधिकारी।		एकल स्वामित्व/कंपनी/Joint Venture /भागीदारी फर्म की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र / मुखतारनामा की मूल प्रति, जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी/प्रोपाईटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है।
3	निविदाकार फर्म / कम्पनी पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व/ Joint Venture फर्म के पंजीयन की प्रति संलग्न करें।		तदाशय के वैध पंजीयन की प्रति संलग्न करें।
4	निविदाकार बतौर परिवहनकर्ता /वितरक सह-परिवहनकर्ता के रूप में एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघ में कार्यरत है तो एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघ से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।		तदाशय के संबंधित संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य है।
5	निविदाकार का पेन कार्ड		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।

6	निविदाकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) निविदा प्रपत्र का प्रपत्र क्र. 04 संलग्न करें।		निविदाकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) निविदा प्रपत्र का प्रपत्र क्र. 04 भरकर संलग्न करें।
7	निविदाकार को :- - एमपीसीडीएफ एवं संबद्ध किसी भी दुग्ध संघ तथा शासकीय/अशासकीय संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया हो। - किसी भी संस्था द्वारा पुलिस थाने/मा.न्यायालय में निविदाकार के विरुद्ध कोई प्रकरण लंबित नहीं हो। - एमपीसीडीएफ भोपाल एवं संबद्ध किसी भी दुग्ध संघों के अध्यक्ष,प्राधिकृत अधिकारी, संचालक मंडल के सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी से किसी भी प्रकार का कोई रक्त/व्यवसायिक संबंध नहीं है एवं न ही आश्रित परिवार का सदस्य हो।		तदाशय का संयुक्त शपथ पत्र रु 200/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें। इस हेतु शपथ पत्र का प्रारूप प्रपत्र क्र. 5 में संलग्न है।
8	उपलब्ध वाहन का प्रकार :		प्रपत्र क्र. 08 की तालिका में दर्शाए मार्ग के सम्मुख वाहन की क्षमता, वाहन मॉडल (निर्माण वर्ष 2020) अथवा इसके बाद के वर्षों के हो, उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति संलग्न करें । नए वाहन लगाए जाने की दशा में रु 200/- के नोटराइज्ड (टिकट सहित) स्टॉम्प पर तदाशय का शपथ पत्र संलग्न करें। शपथ पत्र का प्रारूप निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र. 06 में अवलोकन हेतु संलग्न है।
9	निविदाकार दूध एवं दुग्ध उत्पाद/घी/आइसक्रीम परिवहनकर्ता कार्य का वैध FSSAI & GST लायसेंस/पंजीयन की प्रति संलग्न करें।		तदाशय के वैध लायसेंस/पंजीयन की छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें अथवा नवीन कार्य प्रारंभ करने की स्थिति में FSSAI & GST लायसेंस/पंजीयन हेतु किये गये आवेदन की प्रति Reference No. दिनांक सहित संलग्न करें।

10	निविदाकार को ऑनलाइन पेमेंट द्वारा जमा की गई ई.एम.डी. राशि की रसीद लगाना अनिवार्य है।		ऑनलाइन पेमेंट द्वारा जमा की गई राशि रु की रसीद संलग्न करें।
11	निविदाकार को वित्तीय वर्ष 2022 – 2023, 2023–2024 एवं 2024–2025 का आयकर रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक वर्ष में निविदाकार का टर्नओवर न्यूनतम राशि रु 1500000/– (रुपये पंद्रह लाख) होना अनिवार्य होगा।		तदाशय का C.A. (Chartered Accountant) द्वारा Certified प्रमाण पत्र हस्ताक्षर सहित संलग्न करें।
12	यदि MSME अंतर्गत पंजीकृत है तो पंजीयन की प्रति संलग्न करें।		केवल म.प्र. के MSME उद्यमियों को ई.एम.डी. राशि में छूट की पात्रता होगी अन्य कियी राज्यों के उद्यमियों को नहीं। इस MSME के प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

- नोट :- 1.) निविदाकार को उक्त समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ ऑनलाईन स्कैन कर अपलोड/संलग्न करना अनिवार्य है।
- 2.) उपरोक्त दस्तावेज में से कोई भी दस्तावेज कम पाए जाने पर ऐसी निविदाएं तकनीकी रूप से असफल एवं अमान्य घोषित होंगी।
- 3.) केवल तकनीकी रूप से सफल निविदाकार की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।
- 4.) निविदाकार को प्रपत्र क्र.1 स्वच्छ एवं स्पष्ट रूप से भरकर अपलोड करना होगा।

हस्ताक्षर _____

नाम :- _____

पता :- _____

टेलीफोन नं. _____

मोबाईल नं _____



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

प्रपत्र क्र.02

पैकड साँची दूध, दुग्ध उत्पाद, घी एवं आइसक्रीम परिवहन कार्य हेतु निविदा की आवश्यक नियम एवं शर्त :-

1. केवल म.प्र. राज्य के एम.एस.एम.ई. उद्यमियों को ई.एम.डी. राशि में छूट की पात्रता होगी अन्य किसी भी राज्यों के उद्यमियों के लिए नहीं।
2. प्रतिभागी निविदाकर्ता के पास प्रपत्र क्र. 08 में दर्शाए मार्ग के सम्मुख दर्शित क्षमता एवं मॉडल का वाहन जिसका निर्माण एवं पंजीयन वर्ष 2020 अथवा इसके बाद के वर्षों के हो, उपलब्ध होना अनिवार्य है। दूध के उचित प्रशीतन हेतु एवं उत्कृष्ट गुणवत्ता स्तर को बनाए रखने के लिए दूध वाहन में 04 इंच के पफ इंसूलेशन का होना अनिवार्य है। स्वयं के नाम से नए वाहन लगाए जाने की दशा में एक माह की अवधि में उक्त वाहन संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. सफल निविदाकर्ता जो कि नए वाहन क्रय कर दुग्ध संघ में संलग्न करेंगे उन्हें एक माह की अवधि में दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित इंसूलेटेड वाहन तैयार कर (इंसूलेशन, तापमान एवं क्षमता) लगाना होगा। यदि कतिपय कारणों से नया वाहन एवं वाहन संबंधी समस्त वांछित दस्तावेज संलग्न करने में विलंब होता है तो ऐसी स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरि होगा।
4. निविदा स्वीकृति की स्थिति में सफल निविदाकर्ता को दुग्ध संघ के साथ रु. 1000/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध पत्र का प्रारूप अवलोकन हेतु प्रपत्र क्र. 07 में संलग्न है जिसे केवल सफल निविदाकर्ता को प्रस्तुत करना होगा। अतः निविदाकर्ता अनुबंध पत्र के प्रारूप को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न न करें।
5. सफल निविदाकर्ता को निविदा स्वीकृति उपरांत बतौर सुरक्षा निधि राशि रु 3,00,000/- (रु. तीन लाख मात्र) का RTGS/NEFT/Demand Draft जो कि पेयबल एट भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के नाम से देय होगा, जमा करना अनिवार्य होगा। तदोपरांत ही कार्य आदेश जारी किया जावेगा। निविदा स्वीकृति उपरांत ई.एम.डी. राशि का प्रतिभूति राशि में समायोजन होगा। जमा प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
6. सफल निविदाकर्ता को निविदा स्वीकृति के उपरांत औपचारिकता पत्र जारी करने के एक माह के अंदर ऑनलाइन जमा किए गए दस्तावेजों की मूलप्रति, प्रतिभूति राशि जमा की रसीद, वाहनो के समस्त वांछित दस्तावेज सत्यापन हेतु दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना होंगे। नियत समय में दस्तावेज जमा न करने अथवा दस्तावेज असत्य/अपूर्ण होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ द्वारा कार्य आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
7. निर्धारित तिथि पर, संघ स्तरीय कमेटी के द्वारा समस्त निविदाकारों की तकनीकी अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय आमंत्रण में न्यूनतम तीन निविदाकारों एवं तृतीय व इसके पश्चात् वर्ती आमंत्रण में एक निविदाकार के तकनीकी रूप से अर्ह होने पर ही वित्तीय बिड खोली जाएगी। वित्तीय बिड में न्यूनतम दरें प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को सफल निविदाकार माना जाएगा।
8. यदि दो या दो से अधिक पात्र निविदाकर्ताओं द्वारा समान दरें प्रस्तुत की जाती हैं, तो सफल निविदाकार का चयन लॉटरी कंप्यूटर रेडेमाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाएगा।
9. प्रतिभागी निविदाकर्ता को दरें केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करनी होगी। भौतिक रूप से प्राप्त दरें/निविदाएँ अमान्य होंगी।
10. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को सकारण अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के पास सुरक्षित होगा।
11. निविदा स्वीकृति के उपरांत परिवहनकर्ता की कार्य अवधि कार्य आरम्भ करने की दिनांक से 3 वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने तथा दुग्ध संघ के व्यवसायिक हितों के दृष्टिगत अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्षों तक बढ़ाई जा सकेगी।
12. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो सर्वप्रथम प्रकरण निराकरण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस स्तर पर विवाद निराकृत न होने की स्थिति में प्रकरण आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के तहत प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस संबंध में प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ भोपाल का निर्णय उभय पक्षों को मान्य होगा।

13. परिवहन हेतु अनुबंधित वाहन में जी.पी.एस. सिस्टम केमरा सहित (GPS System with Camera) वाहन ठेकेदार को स्वयं के व्यय से दुग्ध संघ द्वारा अधिकृत एजेन्सी/संस्था के माध्यम से ही लगवाना अनिवार्य होकर उसे चालू स्थिति में रखने की समस्त जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी। जी.पी.एस सिस्टम एवं केमरा खराब होने की स्थिति में दुग्ध संघ को लिखित सूचित करना अनिवार्य होगा तथा स्वयं के व्यय से 24 घण्टे में रिपेयर करवाकर चालू करना अनिवार्य रहेगा, ऐसा नहीं करने पर प्रतिदिन रु. 500/- की पेनल्टी लगाई जावेगी, लगातार जी.पी.एस. एवं केमरा सिस्टम खराब रहने पर अनुबंध निरस्ती की कार्यवाही की जाएगी तथा ऐसे वाहन ठेकेदार को आगामी दो वर्ष तक दुग्ध संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित भी किया जा सकेगा।
14. अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार द्वितीय पक्ष की स्वीकृत परिवहन दरों में वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जाकर भुगतान/वसूली करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ को होगा। डीजल में वृद्धि/कमी की गणना करते समय निविदा खोलने की दिनांक को प्रचलित डीजल दर आधार मानी जायेगी।
15. मुख्य संयंत्र भोपाल एवं मिनी डेयरी प्लांट बैतूल से संचालित मार्गों की विस्तृत सूची निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र. 08 में मार्गवार उल्लेखित है। प्रतिभागी निविदाकर्ता उक्त मार्ग का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के पश्चात् ही दरें प्रति लीटर पर अपने समस्त व्यय एवं कर एवं टोल सहित प्रस्तुत करेंगे। दुग्ध उत्पाद/घी/आइसक्रीम परिवहन निःशुल्क किया जाएगा।
16. निविदा अवधि में अनुबंधित मार्गों पर नवीन टोल प्लाजा खुलने की स्थिति में अतिरिक्त टोल टैक्स का भुगतान का सत्यापन परिवहनकर्ता द्वारा संबंधित टोल कम्पनी से स्वयं करायेंगे तथा विपणन अधिकारी/कर्मचारी से सत्यापन होने के पश्चात् ही उक्त टोल टैक्स के भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।
17. निविदा प्राप्ति तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि निविदा की तकनीकी अर्हताएं बिड व फाइनैशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदाएं अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेंगी।
18. निविदा प्रपत्र के साथ प्रतिभागी निविदाकार द्वारा दी गयी जानकारी यदि किसी भी समय असत्य प्रमाणित होती है तो ई.एम.डी. राशि राजसात कर निविदा निरस्त की जाएगी साथ ही भविष्य की समस्त निविदाओं हेतु ब्लैक लिस्टेड किया जा सकेगा।
19. सफल निविदाकर्ता को दुग्ध वाहन में दूध व दुग्ध उत्पादों, घी, आइसक्रीम के प्रचार-प्रसार तथा विज्ञापन एवं यथा संभव अधिकतम साइज के ग्लो साइन बोर्ड की व्यवस्था स्वयं के स्तर एवं व्यय से करनी होगी। विज्ञापन एवं ग्लो साइन बोर्ड हेतु दूध व दुग्ध उत्पादों, घी, आइसक्रीम की डिजाइन (आर्टवर्क) दुग्ध संघ द्वारा दी जाएगी। दुग्ध संघ द्वारा इस हेतु पृथक् से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
20. निविदाकर्ता यह विशेष रूप से ध्यान रखे कि यह निविदा पूर्ण रूप से ई-निविदा है। अतः निविदाकर्ता, निविदा के नियम एवं शर्तों को ध्यान से पढ़ें एवं समझें एवं इसके उपरांत ही समस्त वांछित दस्तावेजों को स्वप्रमाणित करने के उपरांत स्कैन कर ऑनलाइन ही अपलोड करें। किसी भी दस्तावेज में काट-छांट एवं ओवरराइटिंग न करें। निविदा केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार होगी। भौतिक रूप से प्राप्त निविदाएं अमान्य घोषित होंगी।
- 20.1 सफल निविदाकर्ता को निविदा की औपचारिकताएं एक माह की अवधि में पूर्ण करना होगा। यदि कतिपय कारणों से सफल निविदाकर्ता (एल-1) द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने में विलंब किया जाता है अथवा पूर्ण करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो ऐसी स्थिति में एल-1 निविदाकार के स्थान पर एल-2 निविदाकार को, एल-1 की स्वीकृत दर पर परिवहन कार्य करने की औपचारिकता पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जाएगा तथा एल-1 निविदाकार की ईएमडी राशि राजसात कर ली जाएगी। एल-2 के कार्य करने से मना करने पर एल-3, एवं तदोपरांत एल-4 एवं अन्य निविदाकार से संपर्क कर सहमति प्राप्त करने की कार्यवाही की जाएगी तथा साथ-साथ पुनः ई-निविदा आमंत्रित की जाएगी। प्रथम एवं द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्तुतकर्ता निविदाकार के अतिरिक्त अन्य सभी निविदाकारों की अमानत राशि अधिकतम 30 दिवस में वापस की जाएगी। प्रथम न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार द्वारा सेवा प्रदाय की स्थिति में द्वितीय निविदाकार की अमानत राशि दो माह में वापस की जाएगी।
21. प्रतिभागी निविदाकर्ता निविदा में चाहे गये समस्त दस्तावेजों को स्वप्रमाणित कर संलग्न करें अन्यथा प्रत्येक दस्तावेज स्वप्रमाणित न पाये जाने की स्थिति में ऐसी निविदाओं को अमान्य किया जाएगा।
22. निविदाकर्ता निविदा में डीजल की दरों को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन दरें प्रस्तुत करें। अनुबंध अवधि में यदि सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा की स्वीकृत दरों पर परिवहन कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो ऐसी स्थिति में संबंधित निविदाकार को आगामी निविदाओं के लिए अपात्र घोषित करने तथा प्रतिभूति राशि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

23. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में सफल निविदाकार को प्रपत्र क्र. 01 में मांगे गए आवश्यक अर्हताओं के अंतर्गत वांछित दस्तावेजों की छायाप्रति जो कि उसके द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत की गई थी, की मूलप्रतियाँ कार्य आदेश जारी करने के पूर्व दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कतिपय कारणों से दस्तावेजों की मूलप्रतियाँ प्रस्तुत नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय सर्वोपरि होगा।
24. प्रतिभागी निविदाकार यदि निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वह ऑन लाइन निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व निविदा संबंधी वांछित जानकारी भोपाल दुग्ध संघ के विपणन कार्यालय से प्राप्त कर सकता है।
25. निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर पूर्ण निविदा प्रपत्र को ऑन लाईन जमा करना होगा। निविदा का कोई भी दस्तावेज भौतिक रूप से जमा नहीं किया जायेगा।
26. निविदाकार द्वारा रखी गयी कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी। दुग्ध संघ को वित्तीय हानी होने पर नियमानुसार कार्य आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।
27. निविदाकार द्वारा वित्तीय बिड में ऑनलाइन दरें शब्दों तथा अंकों दोनों में प्रस्तुत करी जाएँ। यदि शब्दों तथा अंकों में प्रस्तुत दरों में अंतर पाया जाता है तो शब्दों में प्रस्तुत दर को सही मान्य किया जाएगा।

मेरे/हमारे द्वारा साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद/घी/आइसक्रीम परिवहनकर्ता की निविदा एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ कर समझ ली गई है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूँ/हैं। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिंदु क्रमांक 01 से 27 तक वर्णित निविदा शर्तों तथा अनुबंध का पालन नहीं करता हूँ तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा मेरे/हमारे विरुद्ध लिया गया निर्णय सर्वोपरि होगा एवं मुझे/हमें मान्य होगा।

हस्ताक्षर
निविदाकर्ता का नाम एवं पता
 (फर्म/कंपनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व/ज्वाइंट वेंचर)



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

प्रपत्र क्र.03

प्रति लीटर दर प्रस्तुत करने हेतु वित्तीय बिड का प्रारूप (केवल ऑनलाइन भरें)

क्र.	मार्ग का नाम	परिवहन दरें (अंको में) (रु प्रति लीटर में)	परिवहन दरें (शब्दों में) (रु प्रति लीटर.में)
1.	भोपाल से विदिशा-गंजबासोदा-उदयपुर-पठारी-त्यौंदा - ग्यारसपुर मार्ग		

नोट :- निविदाकार को केवल ऑनलाइन दरें ही प्रस्तुत करनी होंगी। निविदाकर्ता ऑन लाइन दरें स्पष्ट रूप से भरें। अंकों एवं शब्दों में यदि किसी भी प्रकार से कोई भिन्नता पाई जाती है तो शब्दों में प्रस्तुत की गई दरों को मान्य किया जाएगा।

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम एवं पता

(फर्म/कंपनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व/ज्वाइंट वेंचर)



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

प्रपत्र क्र.04

दूध/दुग्ध उत्पाद/घी/आइसक्रीम परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

1. निविदाकर्ता का नाम

(फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप फर्म/एकल स्वामित्व/ज्वाइंट वेंचर)

2. पिता/पति का नाम

3. स्थाई/वर्तमान पता

.....

.....

4. दूरभाष/मोबाईल नं.

5. ई-मेल एड्रेस

6. परिवहनकर्ता कार्य हेतु प्रस्तावित मार्ग का नाम

7. वर्तमान व्यवसाय (वर्तमान कार्य का विवरण अंकित करें)

.....

8. (अ) पेन नम्बर

(ब) FSSAI

(स) आधार कार्ड नम्बर.....

(द)जी.एस.टी. नम्बर

(नवीन एफएसएसआई एवं जी.एस.टी.नम्बर हेतु किये गये आवेदन का Reference No. दिनांक सहित अंकित करना अनिवार्य है।)

9. ऑनलाईन भरी गई ई.एम.डी. का रसीद नंबर

(समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें।)

मेरे द्वारा परिवहनकर्ता कार्य संबंधी इस निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ी और समझी जा चुकी है और मान्य है। इस हेतु मेरे द्वारा शर्तें हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की गई है। आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

निविदाकार के हस्ताक्षर
नाम

स्वयं का
हस्ताक्षरित
पासपोर्ट
साईज फोटो
लगावें।

**ब्लैक लिस्टेड नही होने, अनापराधिक रिकार्ड हेतु एवं संबंधित नही होने का
शपथ पत्र का प्रारूप**
(केवल रु. 200/- के नॉन ज्यूडिशियल नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं/हम आत्मज..... आयु..... निवासी..... यह कि मेरे/हमारे द्वारा डेयरी प्लांट से मार्ग में दूध/दुग्ध उत्पाद/घी/आईसक्रीम परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है। यह कि मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो-हवास में तथा मेरे/हमारे संज्ञान में प्रस्तुत किया जा रहा है :-

1. यह कि मुझे/हमे किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था / एमपीसीडीएफ/संबद्ध दुग्ध संघ द्वारा कभी भी किसी भी कार्य से अद्यतन स्थिति तक ब्लैक लिस्टेड नही किया गया है।
2. यह कि मेरा/हमारा अद्यतन स्थिति तक किसी भी पुलिस थाने/मा0न्यायालय में किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण/वाद लंबित नही है।
3. मेरा/हमारा एमपीसीडीएफ भोपाल एवं संबद्ध किसी भी दुग्ध संघ के अध्यक्ष, प्राधिकृत अधिकारी, संचालक मंडल के सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी से किसी भी प्रकार का रक्त/व्यवसायिक संबंध नही है एवं न ही मैं आश्रित परिवार का सदस्य हूँ।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

1. गवाह	2. गवाह
नाम :-	नाम :-
पता :-	पता :-
आधार कार्ड नं.....	आधार कार्ड नं.....
मोबाईल नं.....	मोबाईल नं.....

इति दिनांक भोपाल

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नही गया है।

इति दिनांक भोपाल

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

नवीन वाहन उपलब्ध कराने हेतु शपथ पत्र का प्रारूप
(केवल रु. 200/- के नॉन ज्यूडिशियल नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मै/हम आत्मज..... आयु..... निवासी.....
यह कि मेरे/हमारे द्वारा डेयरी प्लांट से मार्ग में
परिवहनकर्ता कार्य हेतु ई-निविदा प्रस्तुत की गई है। यह कि यदि मेरी/हमारी निविदा
नियमानुसार स्वीकृत होती है तो मै/हम दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित क्षमता, मॉडल एवं
पंजीयन तथा तापमान का इंसूलेटेड वाहन एक माह के अंदर संलग्न कर दूंगा/देंगे।
इस हेतु मै/हम अपना शपथ पत्र निविदा की तकनीकी अर्हता के साथ प्रस्तुत कर रहा
हूँ/रहे है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

1. गवाह	2. गवाह
नाम :-	नाम :-
पता :-	पता :-
आधार कार्ड नं.....	आधार कार्ड नं.....
मोबाईल नं.....	मोबाईल नं.....

इति दिनांक

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित संपूर्ण
कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं प्रमाणित है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक भोपाल

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

अनुबंध का प्रारूप (केवल देखने हेतु)

दुग्ध / दुग्ध उत्पाद / घी / आइसक्रीम परिवहन हेतु अनुबंध-प्रपत्र (ग्रामीण विपणन)

यह अनुबंध दुग्ध संघ के व्यवसायिक हितों को ध्यान में रखते हुये आज दिनांक..... को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, हबीबगंज, भोपाल जिन्हे आगे प्रथम पक्ष एवं श्री/मैसर्स (फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व) जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया जावेगा, के मध्य निष्पादित किया गया। इस अनुबंध के तहत निम्न शर्तों के अधीन दुग्ध संघ एवं परिवहनकर्ता कार्य संपादित करेंगे :-

द्वितीय पक्ष द्वारा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, हबीबगंज के डेयरी प्लांट/मिनी डेयरी प्लांट से मार्ग के समस्त वितरण केन्द्रों तक दुग्ध पैकेटों एवं दुग्ध उत्पादों तथा दुग्ध वितरण केन्द्रों से खाली क्रेट दुग्ध संघ तक अनुबंधित वाहन क्रमांक से प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित समय पर परिवहन हेतु ई-निविदा में दरें प्रस्तुत की गई हैं एवं प्रथम पक्ष ने इसमें आगे लिखे गये अनुबंध एवं शर्तों पर द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत ई-निविदा को परिवहन दर रु. प्रति लीटर पर स्वीकार किया है तथा इस दर पर कुल देय राशि की गणना केवल दूध मात्रा पर की जाएगी एवं उत्पादों, घी, आइसक्रीम आदि का परिवहन निःशुल्क होगा।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत द्वितीय पक्ष को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा। यदि द्वितीय पक्ष इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे प्रथम पक्ष को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने बावत देना होगा।
2. यह कि परिवहनकर्ता होने पर द्वितीय पक्ष निर्धारित मार्ग एवं स्थानों पर अपने इंसुलेटेड वाहन द्वारा दुग्ध परिवहन करेगा। मार्ग, केन्द्र व निर्धारित समय एवं दूरी प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित की जावेगी एवं इसमें आवश्यकतानुसार समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा जो द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा एवं मार्ग की दूरी व निविदा में दर्शाए गए केन्द्रों में कमी/वृद्धि का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा।
3. यह कि निविदा में स्वीकृत दरों में, समस्त व्यय यथा:- वाहन चलाने संबंधी समस्त व्यय व दूध की क्रेट्स वाहन में लोड करने व मार्ग के विक्रय केन्द्रों पर चालान के अनुसार उतारने तथा निर्धारित समय में वितरण केन्द्रों से क्रेट/पैकेट आदि वापस लेकर भोपाल डेरी में चालान के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित व्यक्ति को सौंपने के लिये श्रमिक का व्यय सम्मिलित होगा।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारी द्वारा जितनी क्रेट डेयरी से प्राप्त की गई है, उतनी ही तथा उसी गुणवत्ता की क्रेट्स डेयरी संयंत्र में वापस कर रसीद प्राप्त करनी होगी अन्यथा जितने क्रेट कम वापस किये जायेंगे, उतने क्रेटों की वर्तमान प्रचलित क्रेटों की दरों पर गणना कर उतनी राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक में से काटी जायेगी।
5. विभिन्न विक्रय केन्द्रों पर प्रतिदिन द्वितीय पक्ष को, चालान में दर्शाई गई मात्रा के अनुसार दुग्ध, दुग्ध उत्पाद, घी एवं आइसक्रीम उतारना होगा एवं त्रुटि पाए जाने की समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की ही होगी। यदि किसी प्रकार की कमी पाई गई तो दुग्ध, दुग्ध उत्पाद, घी एवं आइसक्रीम की मात्रा की राशि की 5 गुनी राशि द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी।
6. यह कि द्वितीय पक्ष इंसुलेटेड वाहन के साथ चलने वाले वाहन चालक तथा अन्य कर्मचारियों के नाम फोटो सहित प्रस्तुत करेंगे। द्वितीय पक्ष द्वारा अधिकृत परिचालक/वाहन चालक संघ के वितरण स्थल पर वितरण शीट में वाहन आने के समय हस्ताक्षर करेगा। वितरण होने वाले दुग्ध के परिवहन के दौरान गाड़ी बिगड़ जाने/भारी बारिश/पुलिया के ऊपर पानी बहने/किसी भी प्रकार से मार्ग अवरुद्ध होने की दशा में द्वितीय पक्ष का दायित्व होगा कि वह दूसरी गाड़ी भेजकर/अन्य व्यवस्था करके वैकल्पिक मार्ग से दुग्ध वितरण समय पर सम्पन्न करें एवं 48 घंटे के भीतर संबंधित थाने से लिखित सूचना पत्र संघ के विपणन कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा दुग्ध वापसी की दशा में दुग्ध संघ को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति द्वितीय पक्ष के परिवहन देयको से की जावेगी।
7. समय पर दुग्ध वितरण न होने से कोई भी हानि हुई तो द्वितीय पक्ष से वसूली नियमानुसार की जावेगी ऐसी घटना होने पर निविदा निरस्त करके द्वितीय पक्ष की जमा सुरक्षा निधि राशि राजसात की जा सकेगी।
8. अनुबंधित वाहन में साफ-सफाई का ध्यान रखना होगा। परीक्षण करने पर गंदगी पाये जाने की स्थिति में प्रथमतः राशि रु 2000/- का अर्थदण्ड, द्वितीय बार में राशि रु 5000/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा तथा पुनरावृत्ति पर आवंटित कार्य निरस्त कर दिया जावेगा।

9. यह कि वाहन की खराबी अथवा द्वितीय पक्ष की ओर से वाहन के विलम्ब होने पर अथवा दुर्घटना होने आदि की परिस्थिति में दूध/दुग्ध उत्पाद/घी/आइसक्रीम खराब होने अथवा दूध/दुग्ध उत्पाद/घी/आइसक्रीम वापस आने पर जो मूल्यांकित हानि होगी उसका संपूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष का रहेगा।
10. यह कि द्वितीय पक्ष हर माह में एक दिन कार्यालय में आकर उनके देयक से काटी जाने वाली राशि के संबंध में समाधान कर ले अन्यथा नियमानुसार राशि देयक से काट ली जायेगी जो द्वितीय पक्ष को मान्य करनी होगी। पंचनामा कटौती योग्य राशि या अन्य कोई भी वसूली द्वितीय पक्ष के देयक से करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
11. यह कि द्वितीय पक्ष अपने वाहन से दूध व दुग्ध उत्पाद के पैकेट्स एवं क्रेट भरकर उतनी मात्रा में ले जावेगे जितनी कि शीट चालान में दर्शाई गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा दूध/दुग्ध उत्पाद वाहन में पाई जाती है तो निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी :-
 - (a) वितरण वाहन की चैकिंग के दौरान यदि एक से उन्नीस दूध/दुग्ध उत्पाद पैकेट तक अधिक पाये जाते हैं तो द्वितीय पक्ष पर दूध/उत्पाद की कीमत (एमआरपी) की पांच गुना राशि का अर्थदण्ड आरोपित किया जावेगा।
 - (b) 20 या उससे अधिक दूध/दुग्ध उत्पाद पैकेट पाये जाने पर इनकी कीमत (एमआरपी) की 20 गुना राशि का अर्थदण्ड द्वितीय पक्ष पर अधिरोपित किया जावेगा।
12. यह कि द्वितीय पक्ष के वाहन चालक, द्वितीय पक्ष के कर्मचारी वापसी में सभी खाली क्रेट्स लायेंगे और दुग्ध चालान की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार की काटा-पीटी नहीं करेंगे एवं न ही दुग्ध की मात्रा स्वेच्छा से घटावेंगे/बढ़ावेंगे। दुग्ध विक्रेता की मांग की मात्रा से अधिक प्रदायगी होने पर वापसी की पूरी दूध की राशि द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी।
13. द्वितीय पक्ष को क्रेटों का लेखा-जोखा स्वयं रखना होगा। कम क्रेट की वसूली हेतु आदेश पत्र द्वितीय पक्ष को दिया जावेगा। उक्त आदेश पत्र प्राप्ति के 05 दिवस के अंदर कम जमा की गई क्रेटें दुग्ध संघ में द्वितीय पक्ष को जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा बाजार में प्रचलित क्रेटों के मूल्य से गणना कर द्वितीय पक्ष के देयक से कम क्रेटों की राशि काट ली जावेगी।
14. द्वितीय पक्ष प्रत्येक माह खाली क्रेटों का लेखा-जोखा अगले माह की 5 तारीख को स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर शीघ्र निराकरण कर लेवे अन्यथा की स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिये द्वितीय पक्ष स्वयं उत्तरदायी होगा।
15. प्रथम पक्ष डेयरी डाक पर पैकेट में दूध क्रेट के माध्यम से देगा जिसे निर्धारित समय में द्वितीय पक्ष को उठाना होगा। डेयरी डाक पर द्वितीय पक्ष छांट कर दूध का पैकेट लेगा एवं वितरकों को प्रदाय करेगा। दुग्ध वितरण के उपरान्त विपणन विभाग की लिखित अनुमति उपरान्त ही रिटर्न दूध/उत्पाद के पैकेट वापिस लिये जा सकेंगे।
16. यह कि दुग्ध वितरण केन्द्र पर भेजे गये दुग्ध पैकेट्स एवं दुग्ध उत्पाद को द्वितीय पक्ष या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार से विक्रय नहीं करेंगे। ऐसा पाया गया तो विक्रय की गई दूध की कीमत (एमआरपी) से दुगुनी कीमत अर्थदण्ड स्वरूप वसूल की जावेगी तथा पुनरावृत्ति होने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
17. यह कि द्वितीय पक्ष या द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारी वितरण किये जाने वाले दूध एवं दुग्ध उत्पाद की मात्रा/गुणवत्ता स्तर में किसी प्रकार की गड़बड़ी करेगा तो उसकी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी तथा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर यदि दुग्ध संघ की प्रयोगशाला में प्रथम दृष्टि में अपमिश्रित दूध की पुष्टि होती है तो द्वितीय पक्ष का कार्य आर्बटन तत्काल निरस्त करने एवं जमा प्रतिभूति राशि राजसात करने का पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
18. यह कि द्वितीय पक्ष या द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारी वितरण किये जाने वाले दूध एवं दुग्ध उत्पाद की गुणवत्ता को मानक स्तर पर बनाये रखने के लिये कोल्ड चेन नियमित रखने हेतु बाध्य होगा। अन्यथा की स्थिति में द्वितीय पक्ष पर प्रथमतः रु 10000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा एवं पुनरावृत्ति होने की स्थिति में द्वितीय पक्ष की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
19. यह कि द्वितीय पक्ष या द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारी कार्यालय के किसी कर्मचारी, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, एजेंट अथवा आम जन के साथ कार्य के दौरान अभद्र व्यवहार/अनुशासनहीनता नहीं करेगा। ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर प्रथम पक्ष द्वारा संबंधित कर्मचारी को कार्य से पृथक करने हेतु निर्देशित किया जाएगा, जिसका शत्रु प्रतिशत पालन द्वितीय पक्ष को करना होगा अन्यथा की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कार्य आर्बटन निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेड करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
20. द्वितीय पक्ष को दुग्ध वाहन में दूध व दुग्ध उत्पादों, घी, आइसक्रीम के प्रचार-प्रसार तथा विज्ञापन एवं यथा संभव अधिकतम साइज के ग्लो साइन बोर्ड की व्यवस्था स्वयं के स्तर एवं व्यय से करनी होगी। विज्ञापन एवं ग्लो साइन बोर्ड हेतु दूध व दुग्ध उत्पादों, घी, आइसक्रीम की डिजाइन (आर्टवर्क) दुग्ध संघ द्वारा दी जाएगी। दुग्ध संघ द्वारा इस हेतु पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

- 20.1 परिवहन हेतु अनुबंधित वाहन में जी.पी.एस. सिस्टम केमरा सहित (GPS System with Camera) वाहन ठेकेदार को स्वयं के व्यय से दुग्ध संघ द्वारा अधिकृत एजेन्सी/संस्था के माध्यम से ही लगवाना अनिवार्य होकर उसे चालू स्थिति में रखने की समस्त जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी। जी.पी.एस सिस्टम एवं केमरा खराब होने की स्थिति में दुग्ध संघ को लिखित सूचित करना अनिवार्य होगा तथा स्वयं के व्यय से 24 घण्टे में रिपेयर करवाकर चालू करना अनिवार्य रहेगा, ऐसा नहीं करने पर प्रतिदिन रु. 500/- की पेनल्टी लगाई जावेगी, लगातार जी.पी.एस. एवं केमरा सिस्टम खराब रहने पर अनुबंध निरस्ती की कार्यवाही की जाएगी तथा ऐसे वाहन ठेकेदार को आगामी दो वर्ष तक दुग्ध संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित भी किया जा सकेगा।
21. यह कि अधिकृत वाहन चालक एवं दो अटेंडेन्ट के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति को गाड़ी के साथ नहीं ले जाया जावेगा। यदि इससे अधिक व्यक्ति गाड़ी में पाये गये तो द्वितीय पक्ष से रुपये 500/- (रुपये पांच सौ रुपये मात्र) प्रति व्यक्ति की दर से वसूल करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
22. यदि द्वितीय पक्ष का वाहन खराब हो जाता है तो महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक (विपणन) या विपणन मार्ग पर्यवेक्षक की लिखित अनुमति से अस्थाई रूप से वह समान क्षमता के दूसरे इंसुलेटेड वाहन की व्यवस्था करेगा। यह कि द्वितीय पक्ष का वाहन खराब होने पर जो अस्थाई व्यवस्था द्वितीय पक्ष करेगा उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी जिसकी अधिकतम अवधि दस (10) दिन की रहेगी। तत्पश्चात् अनुबंधित वाहन कार्य पर पुनः लगाना होगा। 10 दिवस के उपरांत भी अनुबंधित वाहन ठीक न होने की दशा में अस्थाई वाहन की अवधि बढ़ाये जाने पर, निर्णय लेने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ के पास निहित होगा।
23. यह कि यदि द्वितीय पक्ष, किसी भी कारणवश अनुबंधित वाहन से अनुबंध अवधि में दूध परिवहन निर्धारित समय पर नहीं कर पा रहा है एवं उक्त वाहन के स्थान पर समान क्षमता का इंसुलेटेड वाहन उपलब्ध कराकर दूध परिवहन कार्य सम्पन्न कराना चाहता है तो द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष से अनुबंधित वाहन के स्थान पर अन्य इंसुलेटेड वाहन लगाए जाने की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा ऐसा न करते पाए जाने पर तत्काल निविदा निरस्त कर सुरक्षा निधि राशि राजसात कर ब्लैक लिस्टेड करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
24. प्रथम पक्ष अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की अनुमति के बिना द्वितीय पक्ष दुग्ध या दुग्ध क्रेट से भरी गाड़ी के साथ किसी भी बाहरी व्यक्तियों को या अन्य सामान को दुग्ध वाहन में लोड नहीं करेगा अन्यथा की स्थिति में द्वितीय पक्ष पर रु. 5000/- (पांच हजार रुपये मात्र) का अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा। बार-बार पुनरावृत्ति होने पर कार्य आबंटन निरस्त करने, सुरक्षा निधि राशि जप्त करने तथा ब्लैक लिस्टेड करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
25. परिवहन देयकों का भुगतान माह में एक बार किया जावेगा, द्वितीय पक्ष को नियमित रूप से शासन द्वारा समय-समय पर लागू कर नियमानुसार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक देयक दुग्ध संघ में जमा करना होगा।
26. वाहन चालक एवं अटेंडेन्ट द्वारा अभद्र व्यवहार करने या आदेशों की अवहेलना करने पर महाप्रबंधक/प्रबंधक (संयंत्र संचालन)/ विपणन मार्ग पर्यवेक्षक अथवा अन्य अमले /डिस्ट्रीब्यूटर/रिटेलर/एजेन्ट/आम जन द्वारा शिकायत करने पर दोषी कर्मचारी को द्वितीय पक्ष तत्काल प्रभाव से कार्य से पृथक करेगा।
27. यह अनुबंध तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगा। इस अनुबंध की अवधि दिनांक से तक (कुल तीन वर्ष) प्रभावशाली रहेंगी। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने तथा दुग्ध संघ के व्यवसायिक हितों के दृष्टिगत अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्षों हेतु बढ़ाई जा सकेगी।
28. द्वितीय पक्ष को अपना ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा और न उप परिवहनकर्ता नियुक्त कर सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो ठेका निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
29. डेयरी की परिधि के अंदर आने वाले वाहन (20 कि.मी./प्रति घंटा) से अधिक गति से नहीं चलाए जावे और न डेयरी की परिधि में वाहन की साफ सफाई की जावे यदि ऐसा किया गया तो रुपये 500/- द्वितीय पक्ष पर जुर्माना किया जावेगा जो कि उसके परिवहन देयक से काटा जावेगा।
30. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो सर्वप्रथम प्रकरण निराकरण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस स्तर पर विवाद निराकृत न होने की स्थिति में प्रकरण आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के तहत प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस संबंध में प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ भोपाल का निर्णय उभय पक्षों को मान्य होगा।
31. यह कि अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार द्वितीय पक्ष की स्वीकृत परिवहन दरों में वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जाकर भुगतान/वसूली प्रथम पक्ष द्वारा की जा सकेगी। डीजल में वृद्धि/कमी की गणना करते समय निविदा खोलने की दिनांक को प्रचलित डीजल दर आधार मानी जायेगी।

32. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय पक्ष द्वारा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी तथा जिन कर्मचारियों से अनुबंधित दुग्ध वाहन पर कार्य लिया जावेगा उन कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार नियमित अंशदान की राशि संबंधित विभाग में नियमानुसार जमा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
33. निविदा अवधि में अनुबंधित मार्गों पर नवीन टोल खुलने की स्थिति में उक्त टोल टैक्स का भुगतान प्रथम पक्ष की सहमति से इस हेतु द्वितीय पक्ष को भुगतान किये गये टोल टैक्स संबंधी देयक टोल कम्पनी से प्रमाणित कराने होंगे तथा विपणन शाखा के अधिकारी/कर्मचारी से सत्यापन होने के पश्चात् ही उक्त टोल टैक्स का भुगतान किया जा सकेगा।
34. यह कि द्वितीय पक्ष को अनुबंधित इंसुलेटेड वाहन की क्षमता से अधिक मांग होने पर पृथक से इंसुलेटेड वाहन की व्यवस्था कर मांग अनुसार दूध परिवहन अनुबंधित दरों पर समय पर करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करते पाए जाने एवं दुग्ध संघ स्तर से वाहन व्यवस्था कर दूध परिवहन करने की दशा में उस दिवस का जो भी व्यय प्रथम पक्ष करेगा, का कटौती द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से किया जाएगा।
35. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा दुग्ध परिवहन के दौरान अनुबंधित वाहन में अन्य ब्रांडो का दुग्ध/क्रेट्स/पैकेट्स/उत्पाद/दूध के अतिरिक्त अन्य सामग्री यथा: ब्रेड, सब्जी, फल, आदि औचक निरीक्षण के दौरान पाये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा प्रथम दृष्टया रु.10000/- का अर्थदण्ड द्वितीय पक्ष पर अधिरोपित किया जाएगा। पुनरावृत्ति करते पाए जाने पर तत्काल अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जाएगी।
36. द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करे कि उसके द्वारा निविदा अनुसार प्रस्तुत किए गए वांछित दस्तावेज एवं जानकारी पूर्णतः सत्य है। भविष्य में किसी भी प्रकार से शिकायत प्राप्त होने पर जाँच की जावेगी, जाँच में शिकायत सही पाये जाने पर द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त किया जाकर, द्वितीय पक्ष को ब्लैक लिस्टेड कर प्रथम पक्ष के कार्यालय में जमा सुरक्षा निधि की राशि राजसात कर ली जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही द्वितीय पक्ष की होगी।
37. निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र. 02 "साँची दूध परिवहन कार्य हेतु निविदा की आवश्यक शर्त" में उल्लेखित नियम एवं शर्तें तथा दुग्ध संघ द्वारा भविष्य में जारी किए जाने वाले पत्र परिपत्र इस अनुबंध का भाग माने जाएंगे।
38. यह कि द्वितीय पक्ष की अनुबंध अवधि में मृत्यु हो जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए द्वितीय पक्ष द्वारा घोषित किये गए उत्तराधिकारी को अनुबंध की समान शर्तों एवं दर पर अनुबंध जारी रखना होगा तथा उत्तराधिकारी समस्त लेनदारी एवं देनदारी हेतु जिम्मेदार होगा।
39. मार्ग के शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं को प्रथम पक्ष द्वारा जो भी सामग्री प्रदाय की जाएगी उसकी दैनिक मांग तथा प्रदायगी की प्राप्ति द्वितीय पक्ष द्वारा मासिक देयकों के साथ संलग्न कर प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराने होंगे। यदि प्रथम पक्ष द्वारा प्रदायित मात्रा तथा संस्थाओं को प्राप्त मात्रा में कोई अंतर होता है तो अंतर राशि का कटौती द्वितीय पक्ष के देयकों से किया जायेगा।
40. प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर जो भी निर्देश दुग्ध संघ के व्यवसायिक हित में द्वितीय पक्ष को पत्रों/परिपत्रों के माध्यम से दिए जावेंगे, वे पत्र/परिपत्र इस अनुबंध का भाग माने जाएंगे। पत्र परिपत्र की अनदेखी/उल्लंघन अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा तथा तत्काल आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

मैं आत्मज/पति/पत्नी..... दुग्ध परिवहनकर्ता से
 विपणन मार्ग ,अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री/श्रीमति..... को घोषित करता/ करती हूँ।

(द्वितीय पक्ष)

परिवहनकर्ता के हस्ताक्षर
 नाम.....
 पता.....

 1. गवाह के हस्ताक्षर
 नाम एवं पता:—.....

2. गवाह के हस्ताक्षर
 नाम एवं पता:—.....

(प्रथम पक्ष)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 भोपाल सह.दुग्ध संघ मर्या.

प्रभारी (विपणन)
 भोपाल सह.दुग्ध संघ मर्या.

1.भोपाल से विदिशा-ग्यारसपुर-त्यौंदा-पठारी-उदयपुर-गंजबासोदा मार्ग- ग्रामीण विपणन

क्र.	मार्ग का विवरण	परिवहन कार्य प्रति लीटर औसत दूध विक्रय 4220 लीटर
1	सुखीसेवनिया	
2	बालमपुर	
3	दीवानगंज	
4	सलामतपुर	
5	साँची	
6	विदिशा जेल	
7	विदिशा चिकित्सालय	
8	विदिशा	
9	गंजबासोदा	
10	उदयपुर	
11	पठारी	
12	त्यौंदा	
13	ग्यारसपुर से विदिशा – वाया साँची मुख्य संयंत्र भोपाल ।	
नोट	वाहन मॉडल का निर्माण वर्ष एवं पंजीयन 2020 के ही हो अथवा इसके बाद के वर्ष के हो वाहन क्षमता 650 क्रेट का समकक्ष वाहन होना अनिवार्य है ।	